

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

प्रकरण सं० २१/२०१९

वर्ष २०१९

राजस्थान सरकार बचाम

प्रस्तुतिकरण दिनांक १४/३/१९

निर्णय दिनांक ६/३/१९

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम १९५४ की धारा २२ के अन्तर्गत

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कायाचाही का इतिशियल्स जज  | पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया |
|---------------|---|--|
| ६/३/१९        | <p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को शामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध २०७५ में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का १०४५१-४<br/>                     ..... कापतिवेक दिनांक १४/३/१९ को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी लो.गा.दे. पुत्र ए.रा.रा. जाति जा. निवासी नि.रा.रा. को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम १९५४ की धारा २२ के अन्तर्गत चक १०४५१-४ मु.न. २०९/५१६ कुल २.०४७ है ० सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू ० राजस्व की दर का १०% गुणा राशि १६७ शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू ० अधि ० को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक ६/३/१९ को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार (राजस्व)<br/>श्री विजयनगर</p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. ०२ की क्रम सं. ०२ दिनांक १४-३-१९ को १६७-००० दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;">ता०रा०ले०</p> |  |

